छत्तीसगढ़ शासन
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनाँक 17 सितंबर 2004

क्रमांक /डी - 6168 /89/2004/आजावि: सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक फ-1/प्र. स./सा.प्र.वि./2004 दिनाँक 2-09-04 के अनुसरण में राज्य शासन एतद् द्वारा शहीद वीरनाराण सिंह स्मृति पुरस्कार नियम 2000 को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार सम्मान नियम 2004 बनाता है।

शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान नियम 2004

प्रस्तावना :- छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए शहीद वीरनाराण सिंह की स्मृति में प्रादेशिक स्तर का सम्मान स्थापित करते हुए उसके विनियमहेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " छत्तीसगढ़ शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान" नियम 2004 है।

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनाँक से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषा :- इन नियमों में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(अ) व्यक्तियों / संस्थाओं के तात्पर्य दो व्यक्ति या संस्थाओं से है।

(ब) निर्णायक मंडल से अभिप्रेत , इन नियमों के नियम चार के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से

3. सम्मान का स्वरुप :- आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य का इतिहास रचने वाले दो व्यक्ति /संस्थाओं को शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति पुरस्कार राशि रुपये - 1,00000 (रुपये एक लाख) प्रति व्यक्ति / संस्था को नगद सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रुप में दी जायेगी। यह सम्मान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो व्यक्तियों / संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जायेगा। प्रशस्ति पत्र अलग-अलग दिया जायेगा।

4. निर्णायक मंडल का गठन :- राज्य शासन सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी) जो सामान्यतः पाँच सदस्यीय होगा, का गठन करेगा।

छत्तीसगढ़ शासन
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनाँक 17 सितंबर 2004

क्रमांक /डी - 6168 /89/2004/आजावि: सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक फ-1/प्र. स./सा.प्र.वि./2004 दिनाँक 2-09-04 के अनुसरण में राज्य शासन एतद् द्वारा शहीद वीरनाराण सिंह स्मृति पुरस्कार नियम 2000 को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार सम्मान नियम 2004 बनाता है।

शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान नियम 2004

प्रस्तावना :- छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए शहीद वीरनाराण सिंह की स्मृति में प्रादेशिक स्तर का सम्मान स्थापित करते हुए उसके विनियमहेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " छत्तीसगढ़ शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान" नियम 2004 है।

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनाँक से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषा :- इन नियमों में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(अ) व्यक्तियों / संस्थाओं के तात्पर्य दो व्यक्ति या संस्थाओं से है।

(ब) निर्णायक मंडल से अभिप्रेत , इन नियमों के नियम चार के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से

3. सम्मान का स्वरुप :- आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य का इतिहास रचने वाले दो व्यक्ति /संस्थाओं को शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति पुरस्कार राशि रुपये - 1,00000 (रुपये एक लाख) प्रति व्यक्ति / संस्था को नगद सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रुप में दी जायेगी। यह सम्मान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो व्यक्तियों / संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जायेगा। प्रशस्ति पत्र अलग-अलग दिया जायेगा।

4. निर्णायक मंडल का गठन :- राज्य शासन सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी) जो सामान्यतः पाँच सदस्यीय होगा, का गठन करेगा।

5. निर्णायक मंडल की शक्तियाँ:- (1) निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधन कारी होगा।

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों नाम पर विचार कर सकेगा। जिन्हें वे सम्मान के उद्देशों के अनुरुप हों।

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए दो व्यक्तियों /संस्थाओं का चयन होगा।

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी। एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गयी लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हे राज्य के वरिष्ठ अधिकारी गेड-ए, के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. चयन की प्रक्रिया :- सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्तियों/ संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी।

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टयाँ आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जावेगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टि विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी। विज्ञप्ति जारी करने के समय आदिं में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा

(2) प्रविष्टि आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचिज जाति विकास को प्रस्तुत की जावेगी। प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाये।

(क) संस्था /व्यक्ति का पूर्ण परिचय

(ख) आदिम जातियों में समाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।

(घ) समाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति(सत्यापित)।

(च) आदिवासियों में समाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं /ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।

(छ) संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का ताजा प्रमाण-पत्र।

(ज) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की सहमति।

(झ) जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था/ व्यक्ति के कार्यों के प्रत्यक्ष आकलन के संबंध में सहमति।

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी।

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्रायः यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है।

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों / जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों /निष्कर्षों/ प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामलें में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित सम्मान वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियाँ को पंजीकृत किया जावेगा।

क्र.	सम्मान हेतु व्यक्ति/ संस्था का नाम व पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम/पता तथा संस्था में पदेन स्थिति	प्राप्त कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

(7) पंजीयन के पश्चात् आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी। जिसमें

निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा।

(1) व्यक्ति का नाम एवं पता

(2) प्रस्तावक

(3) सम्मान विषयक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा।

(4) प्राप्त पुरस्कार / सम्मान

(5) प्रमाण / टिप्पणियाँ /आलेख/ प्रकाशन

(6) सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है /नहीं है

(7) आदिवासियों में समाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान हेतु किये गये कार्य की विस्तृत उपब्धियाँ।

(8) व्यक्ति/संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने का प्रमाण-पत्र।

7. चयन का मापदण्डः-

सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने एवं उनके के उत्थान हेतु समाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति /संस्था के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड रहेंगे।

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकाल में संलग्न प्रदेश की ऐसी स्वैच्छिक संस्था अथवा व्यक्ति का चयन किया जावेगा जिसका पिछला कार्य उत्कृष्ट रहा है।और जो वर्तमान में भी इस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है।

(2) ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति की प्रविष्टि पर विचार नहीं होगा। जिसका कोई पदाधिकारी उस वर्ष के सम्मान की जूरी का सदस्य हो।

(3) आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने एवं उनके उत्थान के लिए पूर्व में अन्य पुरस्कार प्राप्त संस्था / व्यक्ति भी इस सम्मान के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि ऐसी संस्था या व्यक्ति समस्त अर्हताओं की पूर्ति करते हो।

(4) छत्तीसगढ़ शासन से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था भी पात्र होगी, किन्तु सहायक अनुदान के दुरुपयोग की दोषी संस्था पात्र नहीं होगी।

(5) सम्मान के लिए संस्था/व्यक्ति के भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्य का आकलन होगा।

(6) संस्था /व्यक्ति को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत होने पर कि उसने आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान

के क्षेत्र में दीर्घकालिन कार्य किया है। और वह अब भी इस दिशा में सक्रिय हैं अर्थात सम्मान केवल भूतकालिक कार्य के आधार पर नहीं मिलेगा। उसके लिए कार्य की परिणाम मूलक निरंतरता आवश्यक है।

(7) संस्था / व्यक्ति के योगदान का सम्बंधित कार्य क्षेत्र एवं आदिवासियों के जीवन में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए।

(8) परंपरागत तौर पर तरीकों से अलग हट कर नवाचार अर्थात नई पद्धति। नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता में अपनाया गया है।

(9) जूरी अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा संस्था / व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का प्रत्यक्ष आकलन करने हेतु व्यक्ति/संस्था को लिखित सहमति देनी होगी।

(10) सर्वथा निर्विवाद एवं समुचित प्रमाणों से परिपुष्ट उत्थान कार्य पर ही जूरी विचार करेगी। संस्था / व्यक्ति होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीन प्रमाण-पत्र पर्याप्त माना जावेगा।

8. **सम्मान की घोषणा :-** निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा जिस संस्था/व्यक्ति का चयन होगा उससे सम्मान ग्रहण करने के बारे में राज्य शासन द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् निर्णायक मंडल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रुप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों / संस्थाओं की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

9. **अलंकरण समारोह :-** सम्मान का अलंकरण समारोह राज्य शासन द्वारा आयोजित होगा। जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में पुरस्कृत व्यक्ति/संस्था अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक भी साथ में ला सकेंगे जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर अधिकारी ग्रेड - ए के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

10. **व्यय की सम्पूर्ति :-** सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थायों पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासेंन द्वारा की जायेगी।

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तनः-**राज्य शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा । इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है को निराकरण के अधिकार भी सचिव छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में निहित होगी

12| अन्य दायित्वों का निर्वहन :- प्राप्त प्रविष्टियाँ एवं चयनित व्यक्ति/संस्था का रिकार्ड, अलग-अलग जिल्द में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा संधारित किया जावेगा। चयनित व्यक्ति/संस्था के सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलितों के उत्थान हेतु किये गये कार्यों के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी। जिसमें पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरुप, सम्मान प्राप्ति के विवरण आदि का समावेश होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी. सी. दलेई)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
रायपुर (छ.ग.)

021

छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

-// अधिसूचना//-

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2009

क्रमांक/ 6029 /2090/2008/25-2/आजावि : राज्य शासन, एतद् द्वारा, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए भूतलक्षीय प्रभाव से (वर्ष 2007 से) छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति को स्व. शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि के रूप में रुपए 2.00 लाख (रुपए दो लाख मात्र) दिए जाने हेतु आदेशित करता है.

2- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु.ओ.नं 237/23036/बी-3 दिनांक 1-8-2009 के अनुक्रम में जारी की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
18/8/09
(डॉ. अनिल चौधरी)
उप सचिव

पृ.क्रमांक/क्रमांक/ 6030 /2090/2008/25-2/आजावि रायपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2009

प्रतिलिपि,

1. माननीय मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
7. आयुक्त, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
9. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, राजनाँदगाँव को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशनार्थ
10. आर्डर बुक

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग